संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र. /यां.प्र.–05/2016 /1702 दिनांक 24/02/2016

नगर निगम रायपुर हेतु सिटी सेनिटेशन बाबत् कार्ययोजना तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना :–

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत रायपुर नगर निगम हेतु City sanitation संबंधी कार्यो के लिए कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु सलाहकार नियुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित कार्यो के लिए अनुभवी संस्थानों से निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 11.03.2016 दोपहर 3:30 बजे तक संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, डी ब्लाक, चतुर्थ तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पते पर स्वीकार की जावेगी। दिनांक 02.03.2016 दोपहर 12:00 बजे संचालनालय में प्री–बिड बैठक आयोजित है। शर्ते निम्नानुसार होगी :–

(1) भाग लेने की योग्यता –

1. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यो हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध सलाहकार संस्था।
2. ऐसे सलाहकार संस्था जिनके द्वारा विगत पाँच वर्षो के भीतर न्यूनतम 3 निकायों हेतु सिटी सेनिटेशन/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना/डीपीआर तैयार किया गया हो एवं न्यूनतम एक निकाय में विगत एक वर्ष या अधिक समय से कियान्वयन किया जा रहा हो।

(2) निविदा –

निविदा तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है –

2.4 लिफाफा 'अ' में 25000/– की अमानत राशि एफडीआर के रूप में संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर के नाम से देना होगा।

2.5 लिफाफा 'ब' में तकनीकी योग्यता एवं निम्नानुसार दस्तावेज सलग्न करना होगा

(I) पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।

(II) तीन वर्षो के आयकर विवरण की सत्यापित प्रति।

(III) केन्द्र सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यो हेतु सलाहकार संस्था के रूप में सूचीबद्ध किये जाने बाबत् प्रमाण पत्र।

(IV) न्यूनतम तीन निकायों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सिटी सेनिटेशन संबंधी कार्यो हेतु डीपीआर/कार्य योजना तैयार किये जाने बाबत्, संबंधित कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र।

(V) उपरोक्त डीपीआर/कार्य योजना के आधार पर न्यूनतम एक निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सिटी सैनिटेशन कार्यो का क्रियान्वयन, विगत एक वर्ष या अधिक समय से किये जाने बाबत् संबंधित कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र।

(VI) कार्य योजना तैयार करने के संबंध में संक्षिप्त विवरण।

(VII) विगत पाँच वर्षो में किसी भी संस्था द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' न किये जाने बाबत् शपथ पत्र।

2.6 लिफाफा 'स' में एकमुश्त दर देना होगा, जो सभी प्रकार के टैक्स सहित होगा।

लिफाफा 'अ' 'ब' एवं 'स' पृथक –पृथक सीलबंद कर 'लिफाफा' 'द' में सीलबंद कर भेजना होगा। लिफाफा 'द' के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में रायपुर नगर निगम सिटी सेनिटेशन कार्यो हेतु सलाहकार नियुक्ति बाबत् निविदा व प्रेषक का पूर्ण पता व मोबाइल नंबर व ई–मेल पता लिखा होना चाहिए।

(3) सलाहकार संस्था का दायित्व :–

3.1 रायपुर नगर निगम के वर्तमान परिवेश में सिटी सेनिटेशन संबंधी कार्यो हेतु आधुनिक मशीनों का उपयोग किस प्रकार किया जावेगा।

3.2 सिटी सेनिटेशन संबंधी कार्यो को प्रभावशाली ढंग से कराने हेतु आवश्यक आधुनिकतम मशीनें/वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने एवं इनके रख–रखाव हेतु निविदा आदि की शर्ते तैयार करना एवं प्राप्त दरों का अध्ययन कर अभिमत देना।

3.3 सिटी सेनिटेशन कार्यो का क्रियान्वयन तैयार कार्य योजना अनुसार प्रारंभ होने के दो वर्षो तक मॉनिटरिंग करना व सलाहकार के रूप में अपनी सेवाऐं देना।

3.4 सलाहकार को अपना स्थानीय प्रतिनिधी रखना होगा जो कि नगर निगम रायपुर के साथ संपर्क में होगा।

(4) अनुबंध :–

4.1 चयनित किये जाने संबंधित सूचना जारी करने के तीन दिवस के भीतर सलाहकार संस्था को अनुबंध करना होगा।

4.2 अनुबंध दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ कर 30 दिवस में पूर्ण करना होगा।

(5) भुगतान :–

अनुबंध उपरांत सलाहकार संस्था को निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा –

(I)	ड्राफ्ट कार्य योजना प्रस्तुत कर प्रेजेंटेशन उपरांत :–	10 %
(II)	अंतिम कार्य योजना प्रस्तुत कर प्रेजेंटेशन एवं तदानुसार अनुमोदन उपरांत :–	20 %
(III)	सिटी सेनिटेशन संबंधी कार्यो के कियान्वयन हेतु आवश्यक मशीनें/वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निविदा/EOI प्राप्त होने के उपरांत :–	10 %
(IV)	निविदा/EOI में प्राप्त दरो के अनुमोदन उपरांत :–	10 %
(V)	आवश्यक मशीने/वाहन एवं अन्य संसाधन नगर निगम रायपुर को उपलब्ध होने व परीक्षण उपरांत :–	20 %
(VI)	सिटी सेनिटेशन कार्य प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर (चार किश्तों में) :–	15 %
(VII)	सिटी सेनिटेशन कार्यो हेतु द्वितीय वर्ष के लिए (चार किश्तों में) :–	15 %
		100 %

सभी बिलो में नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी सिटी सेनिटेशन का कियान्वयन प्रारंभ करने के दो वर्ष पश्चात् यदि सलाहकार संस्था का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है, तो सलाहकार संस्था व नगर निगम रायपुर एक वर्ष अथवा दो वर्ष हेतु अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ा सकते है। इन वर्षो में भी राशि का भुगतान पूर्व की भाँति स्वीकृत दर का 20 प्रतिशत, एक वर्ष हेतु किया जायेगा।

(6) निरस्तीकरण :–

6.1 कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नगर निगम रायपुर द्वारा सलाहकार संस्था को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

6.2 कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में, केन्द्र सरकार को 'इम्पेनल्ड सूची' से नाम हटाने हेतु अनुशंसा की जावेगी।

6.3 सलाहकार संस्था द्वारा अनुबंध समाप्त करना, चाहने की स्थिति में समुचित कारण दर्शाते हुये रायपुर नगर निगम को 30 दिवस की पूर्व सूचना देनी होगी, जिस पर परीक्षण उपरांत नगर निगम रायपुर द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

6.4 सलाहकार संस्था का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा सलाहकार संस्था के आवेदन पर, दोनो ही स्थिति में अनुबंध निरस्त होने पर अमानत राशि राजसात करते हुये शेष राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालीन समय में यांत्रिकी प्रकोष्ठ दूरभाष क. 0771–2543750 अथवा मोबाइल नम्बर 99935–96555 से प्राप्त की जा सकती है।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर